## दिल्ली विश्वविद्यालय UNIVERSITY OF DELHI

(राजभाषा प्रकोष्ठ RAJBHASHA CELL)

कमरा सं : 104, प्रथम तल, नया प्रशासनिक खंड, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007 (दूरभाष: 011-27666269, एक्स नं.: 1225) Room No.: 104, 1st Floor, New Administrative Block, University of Delhi, Delhi-110007 (Phone: 011-27666269, Ext. No.: 1225)

फा. सं.: आरबीसी/034/ति.रि.(02)/2019/*५२/५ - ५५63* 

दिनांक: 24/06/2019

विषय: हिंदी के प्रयोग से संबंधित तिमाही (01 अप्रैल, 2019 से 30 जून, 2019 तक) प्रगति रिपोर्ट संबंधी सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही (01 अप्रैल, 2019 से 30 जून, 2019 तक) हेतु हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित रिपोर्ट राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजी जानी है। इस रिपोर्ट से संबंधित संलग्न प्रपत्र सभी विभागों/अनुभागों को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

अतः सभी अधिकारियों से अनुरोध है कि कृपया संलग्न प्रपत्र में अपेक्षित सूचनाएं भरकर अधोहस्ताक्षरी को दि. 04-07-2019 तक अवश्य प्रेषित करें, ताकि समेकित रिपोर्ट 10 जुलाई, 2019 तक राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजी जा सके। यदि तिमाही प्रगति रिपोर्ट भरने संबंधी किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो राजभाषा अनुभाग में दूरभाष संख्या: 27666269 या एक्सटेशन नं.1225 पर संपर्क कर सकते हैं।

कृपया इसे अति आवश्यक समझा जाए।

संलग्नक : यथोपरि

(आनंद कुमार सोनी)

सहायक कुलसचिव (राजभाषा)

प्रति: सभी विभाग, केंद्र एवं अनुभाग/कार्यालय प्रमुख

## केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों/सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों आदि में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट

Quarterly Progress Report Regarding Progressive Use of Official Language Hindi in Ministries/ Departments/Attached/ Subordinate Offices/PSUs/Autonomous Bodies etc. of Central Government

01 अप्रैल, 2019 से 30 जून, 2019 तक की तिमाही हेतु

.....2/-

## क्षाग Part - I (प्रत्येक तिमाही में भरा जाए To be furnished at the end of each quarter)

कार्यालय का नाम और पूरा पता Name and full postal address of the C												
संबंधित	त का राजभाषा अधिक	गरी का फोन नं.:	एस.टी.डी कोड	फोन नं.	ई-मेल							
Phone No. of the concerned Official Language Officer, STD Code				leTel. No	E-mail_							
01.	राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात* Documents* issued under section 3(3) of Official Languages Act, 1963											
( <b>क</b> a)	) जारी कागजात की कुल संख्या Total no. of documents issued											
(खb)												
(गट) इनमें से केवल अंग्रेजी में जारी किये गये कागजात No. of documents issued only in English * इनमें सामान्य आदेश, ज्ञापन, संकल्प, अधिसूचनाएं, नियम, करार, संविदा, टेंडर नोटिस तथा संसदीय प्रश्न इत्यादि शामिल हैं। * This include General Orders, Memorandums, Resolutions, Notifications, Rules, Agreements, Contracts, Tender Notices, Parliament Questions etc.												
02. (कa)	हिंदी में प्राप्त पत्र (राजभाषा नियम - 5) Letters received in Hindi (Official Languages Rule-5) हिंदी में प्राप्त कुल पत्रों की संख्या Total no. of letters received in Hindi											
(खb)	o) इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए Out of these, No. of letters replied in Hindi											
(गc)												
(घd)												
03.	अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने की स्थिति (केवल 'क'और'ख' क्षेत्र में स्थित केंद्रीय कार्यालयों हेतु) No. of letters received in English but replied in Hindi (Applicable to central offices located in 'A'&'B' region)											
	THO OT TOLLOWS TOLL				तर कितने पत्रों के उत्तर दिये जाने							
		No. of letters received in English		हिंदी में दिए गए Lette replied in Hindi								
'क' क्षे	व से From region 'A'			1								
'ख' क्षे	त्र से From region 'B'											
04.	भेजे गये कुल पत्रों	का ब्योरा Detai	ls of total letters	issued								
		हिंदी/द्विभाषी में In Hindi/ Bilingual	केवल अंग्रेजी में English only	भेजे गए पत्रों की कुल सं. Total No. of letters issued	हिंदी/द्विभाषी में भेजे गए पनों का प्रतिशत %age of letters issued in Hindi/Bilingual							
'क' क्षेत्र को To Region 'A'*					gl sungan							
'ख'क्षेत्र को To Region 'B'&		2 926 2 2	4 4 1.44	- 1 10 -0 -0 -0 -0 -0								
'ग' क्षेत्र को To Region 'C'#			et									
	बेहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, वंडमान तथा निकोबार दवीप			स्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड र	जन्म, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य और							

& गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमन और दीव तथा दादरा व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र ।

# "क" तथा "ख" क्षेत्र में शामिल नहीं किए गए अन्य सभी राज्य।

05. फाइलों पर हिंदी में कार्य Not	ings in Hindi on file	es					
तिमाही के दौरान लिखी गई टिप्पणियां			1				
No. of noting's made during the	quarter f	हिंदी में In Hindi		अंग्रेजी में In English		कुल संख्या Total no.	
06. हिंदी कार्यशालाएं Hindi Worksh	lone.						
तिमाही के दौरान कार्यशाला आयोजन	ups प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षित अधिव	erfoni'	प्रशिक्षित कर्मचारि	मों की	अन्य संस्था	
की तिथि एवं संख्या	(घंटो में)	PACESCALAR DE COMPANION DE LA		संख्या		की कुल संख्या Total no.	
Date & No. of workshops conducted Duration of t				No. of Employees	trained		
during the quarter	(In hours)						
07. विभागीय/संगठनीय राजभाषा कार्या	न्वयन समिति की बैठक	के आयोजन की वि	नेथि				
Date of the meeting of the Depart				entation Committee			
08. हिंदी सलाहकार समिति की बैठक				पहली बैठक		द्सरी बैठक	
Date of the meeting of the Hindi A	Advisory Committee			First Meetin	1	econd Meeting	
				2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			
No. of Top administrative meeti (खb) ऐसी कितनी बैठकों में वार्तालाप, No. of meetings out of the (a), in	/कार्यवाहियां पूरी तरह वि	हेंदी में की गईं	onducte	d in Hindi completel	v		
उल्लिखित सूचना उपलब्ध अभिलेखों के	आधार पर बनाई गई	है तथा भेरी जानका	री के अब	तसार सही है			
The above information has been prepa							
				** *			
विभाग/अनुभाग/श	ाखा/कार्यालय प्रमुख वे	के हस्ताक्षर :					
Signature of the He	ad of the Departmen	t/Section/Branch,	Office	:			
प्रमुख/अधि	ोकारी का नाम Name o	of the Head/Officer	:				
पदनाम De	esignation:			-			
• एसटीडी व	नेड सहित फोन नम्बर	Telephone No. with	STD Cod	de:			
फैक्स नम्	बर Fax No.:						
ई-मेल का	पता E- mail address :						
नोट Note :-							

- 1. यह रिपोर्ट विभाग/अनुभाग/शाखा/कार्यालय के प्रमुख से हस्ताक्षारित न होने पर लौटा दी जायेगी। This report will not be accepted if not duly signed by the Head of the Department/Section/Branch/Office. Committee.
- 2. कोई भी कॉलम खाली न छोड़ा जाए और सूचना स्पष्ट रूप से दी जाए No column should be left blank and information should be given distinctly.